

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 15 मई, 2017


समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

जुलाई-2017 से जी0एस0टी0 की व्यवस्था प्रभावी होनी है। विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रस्तावित व्यवस्था के प्रभावपूर्ण ढंग से लागू होने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। यद्यपि प्रशिक्षण का कार्य लगातार चल रहा है, किन्तु यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका सतत एवं निरन्तर चलते रहना भी आवश्यक है। इस दौरान अधिकारियों का स्टेशन पर बने रहना न केवल नियमानुसार होगा, अपितु विकल्प रहित भी होगा। स्वाभाविक रूप से विभाग के सामान्य कामकाज के साथ-साथ आनुषंगिक कार्य के रूप में जी0एस0टी0 में माईग्रेशन तथा इनरोलमेन्ट का अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य भी इसी दौरान सम्पन्न होना है, जिसमें विभागीय समस्त अधिकारियों की अत्यन्त महती भूमिका निर्धारित की गई है।

2- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन की मण्डलीय समीक्षा का दौर भी जारी है। अभी हाल ही में कतिपय जोन में अनुपस्थिति के कारण अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। विभागीय किसी भी अधिकारी को स्टेशन छोड़ने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही स्टेशन छोड़ना होगा।

3- अतः सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर से अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्व सूचना दिए बिना स्टेशन/ मुख्यालय न छोड़े। अपरिहार्य परिस्थितियों में स्टेशन छोड़ना आवश्यक हो तो इसकी पूर्व सूचना जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त को देकर उनसे स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्राप्त करके ही स्टेशन छोड़े तथा इसकी सूचना व अवकाश प्रार्थना पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


अपने अधीनस्थ अधिकारियों से अपेक्षा करें कि वह किसी भी दशा में स्टेशन न छोड़े। अवकाश का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते समय आपको यह परीक्षण करना होगा कि अवकाश प्रार्थना पत्र ऐसे तथ्यों एवं परिस्थितियों पर आधारित है, जिसमें अवकाश का स्वीकृत किया जाना बाध्यकारी है और इस प्रकार के अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत किए जाते हैं तब उसकी सूचना, मुख्यालय को भी प्रेषित करेंगे।


(आन्जनेय कुमार सिंह)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कमिश्नर वाणिज्य कर(कैम्प)उत्तर प्रदेश।
- 2- एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 2- अपर निदेशक, कर एवं प्रबन्धन शोध संस्थान, वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 3- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- 4- असिस्टेंट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट हेतु।


(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,
प्रभार-ज्वाइन्ट कमिश्नर(स्थापना)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।